

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28011/19-20/

दिनांक: 29.10.2020

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
परिक्षेत्र,  
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,  
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
माध्यमिक शिक्षा, (मुख्यालय)  
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

विषय:- सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन प्रकरण, सेवानिवृत्ति के एक माह के अन्दर  
निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत ।

प्रसंग :- शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/34925/पी-2/2012 दिनांक 06.05.2020,  
26.05.2020, 28.05.2020, 02.07.2020, 24.07.2020, 04.08.2020,  
25.08.2020, 08.09.2020 ,07.10.2020 एवं 21.10.2020

----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों के बकाया पेंशन प्रकरणों की नियमित मोनेटरिंग कर बकाया पेंशन प्रकरणों को सेवानिवृत्ति तिथि के 02 माह के अन्दर आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए समय समय पर इस कार्यालय द्वारा आपको निर्देशित किया जाता रहा है । बकाया पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक कार्यालय स्तर पर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर नियमित मासिक बैठक कर प्रत्येक बकाया पेंशन प्रकरण पर चर्चा कर उसको समय पर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यालय द्वारा बार बार आपको निर्देशित किया जाता रहा है । साथ ही देरी के लिए पेंशन प्रकरणों में देरी के लिए दोषी अधिकारी/कार्मिकों का उतरदायित्व निर्धारित करने के लिए भी आपको निर्देशित किया जाता रहा है । लेकिन इन सबके बावजूद भी आपके द्वारा बकाया पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई रुचि नहीं ली जा रही है । कार्मिकों के सेवाकाल में मृत्यु होने के बावजूद उनके पारिवारिक पेंशन प्रकरण उपादान (DCRG) राशि जीपीएफ, बीमा राशि व अन्य दावों का भुगतान, मृतक अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण, बकाया पेंशन प्रकरणों की नियमित मोनेटरिंग नहीं करने के कारण ही विभाग में लम्बित चल रहे हैं ।


मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बारां कार्यालय द्वारा एन.पी.एस. सेवा के कार्मिकों की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन बनाने की कार्यवाही नहीं की जा रही है । जबकि वित्त विभाग के परिपत्र एफ.12 (8)/एफ.डी.रूल/2008 दिनांक 09.05.2013 के अनुसार एन.पी.एस. सेवारत कार्मिकों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन देय है । अतः इस सम्बन्ध में पारिवारिक पेंशन स्वीकृत न करने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उतरदायित्व निर्धारित किया जावे । इस प्रकार के बकाया प्रकरणों का अविलम्ब निस्तारण कराया जावे ।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालयों से उनके अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों के बकाया पेंशन प्रकरणों की सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि सितम्बर, 2020 तक विभाग में 403 पेंशन प्रकरण बकाया दर्शाये गये हैं एवं पेंशन विभाग में 1006 प्रकरण बकाया दर्शाये गये हैं । जिनमें अधिकांश में कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच, वसूली, पेंशन द्वारा आक्षेपित बकाया एसीपी प्रकरण आदि अंकित किये हुए हैं । साथ ही पेंशन विभाग में बकाया प्रकरणों में कतिपय प्रकरण पेंशन विभाग में 3 माह से अधिक समय से स्वीकृति के अभाव में शेष दर्शाये गये हैं जबकि पेंशन विभाग द्वारा इतने समय तक पेंशन प्रकरण बकाया नहीं रहते । उक्त समस्त आक्षेपों की पूर्ति सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा समय पर नहीं करवाये जाने के कारण बकाया रहती है । उक्त कमियां कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात 6 माह से अधिक समय तक बकाया रहना कार्यालयाध्यक्ष एवं नियंत्रण अधिकारी एवं जिले में पेंशन के प्रभारी लेखाकर्मी की कार्य के प्रति लापरवाही स्पष्ट नजर आ रही है । इस सम्बन्ध में आपको कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों द्वारा बार-बार निर्देशित करने के बावजूद भी आप द्वारा वित्त विभाग में निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है । अतः सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के प्रकरण सेवानिवृत्ति से 06 माह पहले ही कार्मिकों के सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवाई जाकर पेंशन विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृत्ति के दिन उनको पीपीओ जीपीओ सुपूर्द किया जा सके । सेवा के दौरान मृत राज्य कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन प्रकरण मृत्यु की तिथि

(2)


से 01 माह के अन्दर आवश्यक रूप से निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें । अन्यथा सेवानिवृत्त कार्मिक / मृत आश्रित कार्मिक की समय पर पेंशन स्वीकृत नहीं होने के कारण आपका दायित्व निर्धारण कर सक्षम अधिकारी को उचित कार्यवाही हेतु लिख दिया जायेगा ।

जिला शिक्षा अधिकारी - बकाया प्रकरणों  
को निरत

  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय / समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजकर लेख है कि अपने कार्यालय के समस्त बकाया पेंशन प्रकरणों का निस्तारण एवं निर्देशानुसार करना सुनिश्चित करावें । साथ ही अपने अधीनस्थ समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उक्त पत्र की प्रति पृष्ठांकित कर उक्त निर्देशों की पालना अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करावें ।
3. ए.सी.पी. कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

लम्बित पेंशन प्रकरणों का जिलेवार विवरण

माह :- सितम्बर, 2020

मंडल का नाम :-

बैठक तिथि:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	प्रारम्भिक शेष	माह में प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष	पेंशन विभाग में शेष	विभाग में शेष	कोर्ट केस	प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत	से.नि. से पूर्व स्वीकृत पेंशन प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उदयपुर	241	87	328	84	244	124	120	00	13	32
2	जयपुर	319	51	370	56	314	250	64	05	22	00
3	पाली	84	32	116	35	81	51	31	01	16	00
4	कोटा	160	50	210	108	102	73	29	04	11	00
5	अजमेर	222	76	298	118	180	149	30	00	14	00
6	चूरु	161	75	236	84	152	117	35	04	13	00
7	जोधपुर	101	30	131	30	101	69	32	01	13	00
8	बीकानेर	42	34	76	33	43	28	15	01	07	00
9	भरतपुर	220	66	286	95	191	145	46	03	19	00
10	टी.टी. कॉलेज अजमेर	01	00	01	00	01	00	01	00	02	00
	योग	1551	501	2052	643	1409	1006	403	19	130	32